

# Original

राजी लोकीय विकास प्राधिकार, राजा  
महत लालन बाद संस्था ।।९२/०७/०९  
स्वीकृति के क्रम में अनुद्धा पद

कामलाचल लोकीय विकास प्राधिकार अधिनियम 2001 की पारा 37

एवं बत्तेनान इबन उचितवाद के असर्वत अस्ताप्ति भवन तिलि  
/ दर्शनान अबन वे परिषद्वान / परिषद्वान के नवये वे अभिनविकास  
अस्ति के साथ स्वीकृति दी जाती है :-

(1) निय तिलि कार्य प्रारम्भ करने के कथ से कथ 15 (पन्द्रह) दिनों  
के पहले विहित प्रबन्ध में संचित को सुचित करेंगे ।

(2) विषयिक कार्य की साक्षित वश प्राधिकार के बंजीकृत अधिकारी  
/ वास्तुवार / सुपरवाईजर हारा-विहित-प्रबन्ध में प्रभाग-पद देखें,  
जिनके एक दो दोषी पर्यावरण में कार्य किया गया है ।

(3) रोड विहार हेतु लोकीय पार्षदीय पट्टी / पट्टीयों को  
शौधकर ही वाहशीलीयां रीका नियमित करना होगा ।

(4) स्वीकृत भवन लालन में दर्शनीय गवीं रोड चौड़ीकरण हेतु लोकीय  
गवीं पूर्ण नियुक्त संस्कार / प्राधिकार को रोड विस्तार, विडर्फ  
हेतु उपचारक कराएंगे ।


(5) भवनों को स्वीकृति वाप सीन बर्तों के लिए बंद रहेगी । उसके  
लिये भवन नियमानुसार अनुसार का बुनमान्यम कराना अनियाइ होगा ।  
लिए । स्वीकृत भवनों से विचलन साम्ब नहीं होगा ।

(6) भवन लालन ने लोकों के 100% यू. १०० वर्ष अवधि है कि  
इसके बाद वे दर्शनीय देवतान से स्वीकृति डाला को हूं तो जारीकर और दो  
विकास प्राधिकार अधिनियम की पारा 38 के वापर्वाल वापर प्राप्त  
ही स्वीकृति दद कर दी जाएगी ।

(7) अस्ति कार्य नहीं ।

  
राजा लोकीय प्राधिकार  
लालन लोकीय प्राधिकार

वापर्वाल के कार्यकारी

  
नियमित प्राधिकारी  
राजी लोकीय विकास प्राधिकार  
१०/१०/०९